

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/31260/जोन-जयपुर/2026/Rajkaj Ref. No दिनांक-As per sign.

**::आदेश::**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-ग दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मी जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदस्थापन जिला/स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	ACP/MACP देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त पे लेवल	देय पे लेवल
1	सुमित्रा/सुरेश कुमार म.स्वा. कार्यकर्ता	पीएचसी गोरिया, खण्डेला सीकर	13.11.1998	13.11.2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	सरिता कुमारी धनखड/रमेश चन्द म.स्वा. कार्यकर्ता	पीएचसी मण्डनवाडा कलां मुण्डावर खैरथल-तिजारा	14.11.1996	14-11-2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
3	छोटी कुमारी/नोरंग सिंह म.स्वा. कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र सांखू, फतेहपुर सीकर	19.02.1998	19-02-2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
4	लीला कुमारी/पानसिंह म.स्वा. कार्यकर्ता	एम.सी.डब्लुसी. गांधीनगर, जयपुर	21.11.1996	21.11.2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
5	शारदा सैनी/गोपाल लाल सैनी म.स्वा.कार्यकर्ता	सीएचसी जाजोद खण्डेला, सीकर	22.04.1998	22.04.2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
6	शारदा कुमारी/सज्जन कुमार म.स्वा.कार्यकर्ता	उप स्वा केन्द्र हरदयालपुरा खण्ड पिपराली सीकर	01.12.1998	01.12.2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

1. यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के पर उन पर नियमानुसार यह आदेश लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/31260/जोन-जयपुर/2026/Rajkaj Ref. No दिनांक-As per sign.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

निदेशक (अराजपत्रित)  
Digitally Signed by Rakesh  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
Director  
Date :10-03-2026 11:21:29

RajKaj Ref No.:  
20640756  
eSian DSC